



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 07.11.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 1036/22 धारा 7/7ए/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.11.2022 को मीडिया पर वीडियो वायरल हुई । जिसका संज्ञान थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा लिया गया तथा जांच की गई तो वायरल वीडियो में 01.उपनि0 वीर सिंह थाना कोतवाली बागपत, 02.का0 यतेन्द्र कुमार पुलिस लाईन बागपत, 03.विशाल जैन पुत्र सुनील



जैन निवासी पट्टी मेहर कस्बा व थाना बडौत तथा निवाडा बैरियर पर नियुक्त अन्य कर्मचारीगण द्वारा ट्रेक्टर पर बैठे व्यक्तियों से एन्ट्री के नाम पर 100 रूपये उत्कोच के रूप में लेते नजर आ रहे हैं । इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 1036/22 धारा 7/7ए/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 1036/22 धारा 7/7ए/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-विशाल जैन पुत्र सुनील जैन निवासी पट्टी मेहर करबा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थानाध्यक्ष श्री संजय कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

2-उप नि० श्री राजकुमार गौतम थाना कोतवाली बागपत ।

3-का० 25 राजीव चौधरी थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 07-11-2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम पता-

1-सलमान पुत्र अलीशेर निवासी पुराना कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री सोमपाल सिंह थाना कोतवाली बागपत ।

2-का० 647 प्रवीण कुमार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 07.11.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 258/22 धारा 498ए/342/307/504/506 भादवि में वांछित 02 अभियुक्ताओं को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 258/22 धारा 498ए/342/307/504/506 भादवि में वांछित 02 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पूर्व में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का नाम व पता-

- 1-एक महिला ।
- 2-एक महिला ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री मधुरश्याम थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-म0आरक्षी 499 अंजू थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-पीसी हो0गा0 नितिन कुमार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट
थाना छपरौली

दिनाँक – 07.11.2022

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 306/22 धारा 498A/304B भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 306/22 धारा 498A/304B भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना छपरौली पुलिस द्वारा पूर्व में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

एक महिला ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- थानाध्यक्ष श्री नितिन पाण्डेय थाना छपरौली ।
- 2- उ0नि0 श्री ब्रजेश पौनिया थाना छपरौली ।
- 3- का0 340 मोहित थाना छपरौली ।
- 4- म0का0 540 पूनम थाना छपरौली ।